

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 180/2022 राजस्व वाद

01. धर्माराम पुत्र श्री सुजाराम रेबारी जाति रेबारी आयु 31 वर्ष निवासी- बलिया खेड़ा, सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) --- वादी

बनाम

01. छोटू लाल पुत्र श्री उदय लाल लुहार आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. जगदीश कुमार पुत्र श्री कान्ति लाल झंवर जाति महाजन आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. माणकचन्द पुत्र श्री अम्बा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. मीना पुत्र श्री जगुराज महाजन आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द्र मारू आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री माणकचन्द लुहार आयु वयस्क निवासी- करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
2. परोकार सरकार

-अधिवक्ता वादी

प्रतिवादीगण

-अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक- 16.10.2023

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयवाधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 06 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1258 मे आराजी नम्बर 2277 रकबा 0.4426 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 0.4426 हैक्टयर व खाता संख्या 1259 मे आराजी नम्बर 2270 रकबा 0.7967 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2273 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2274 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2275 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2278 रकबा 0.4173 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5680 हैक्टयर मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) खातेदार का नाम- प्रतिवादी- छोटू लाल पुत्र श्री उदय लाल जाति लुहार सा. देह खातेदार के नाम पर-

खाता संख्या 1258 बारह सौ अठावन

| क्र.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 2277 / 4 | 0.0632 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 01 | 0.0632 हैक्टयर |

खाता संख्या 1259 बारह सौ उनसाठ

| क्र.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 2270 / 4 | 0.0658 हैक्टयर |
| 2. | 2273 / 1 | 0.0398 हैक्टयर |
| 3. | 2274 / 1 | 0.0525 हैक्टयर |
| 4. | 2275 | 0.0379 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 04 | 0.1960 हैक्टयर |

(2) खातेदार का नाम- प्रतिवादी- जगदीश कुमार पुत्र श्री कांति लाल झंवर जाति महाजन हिस्सा 221/521 देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द्र मारु हिस्सा 300/521 सा. देह खातेदार

खाता संख्या 1259 बारह सौ उनसाठ

| क्र.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 2270 / 1 | 0.0442 हैक्टयर |
| 2. | 2278 | 0.4173 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 02 | 0.4615 हैक्टयर |

सपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(3) खातेदार का नाम- प्रतिवादी- जगदीश कुमार पुत्र श्री कांति लाल झंवर जाति महाजन सा.
देह खातेदार के नाम पर-

खाता संख्या 1258 बारह सौ अठावन

| क्र.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 2277 / 1 | 0.0632 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 01 | 0.0632 हैक्टयर |

(4) खातेदार का नाम- वादी- धर्मराम पुत्र श्री सुजाराम जाति रेबारी सा. बलिया खेड़ा
सेहणुन्दा खातेदार के नाम पर-

खाता संख्या 1258 बारह सौ अठावन

| क्र.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 2277 / 3 | 0.2276 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 01 | 0.2276 हैक्टयर |

खाता संख्या 1259 बारह सौ उनसाठ

| क्र.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 2270 / 3 | 0.2162 हैक्टयर |
| 2. | 2273 / 2 | 0.1625 हैक्टयर |
| 3. | 2274 / 2 | 0.0613 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 03 | 0.4400 हैक्टयर |

(5) खातेदार का नाम- प्रतिवादी- माणकचन्द पुत्र श्री अम्बा लाल 5/7 , मीना पुत्र जगुराज
हिस्सा 2/7 जाति महाजन सा. देह खातेदार के नाम पर-

खाता संख्या 1258 बारह सौ अठावन

| क्र.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 2277 / 2 | 0.0886 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 01 | 0.0886 हैक्टयर |

(6) खातेदार का नाम- प्रतिवादी- माणकचन्द पुत्र श्री अम्बा लाल 5/12 , नरेन्द्र कुमार पुत्र
माणकचन्द हिस्सा 5/12, मीना पुत्र जगुराज हिस्सा 1/6 जाति महाजन सा. देह खातेदार के
नाम पर-


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

खाता संख्या 1259 बारह सौ उनसाठ

| क.सं. | आराजी नम्बर | रकबा (हैक्टयर मे) |
|-------|-------------|-------------------|
| 1 | 2270/2 | 0.4705 हैक्टयर |
| योग | कुल किता 01 | 0.4705 हैक्टयर |

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हुक्मी चन्द रोहलानिया)

उपखण्ड अधिकारी (पदेन)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)